UPBP010022892026

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या(कम्प्यूटर)–834/2026

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या(पंजीयन)–124/2026

**राम बहादुर मौर्या उर्फ छोटू** पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल निवासी मालगोदाम रोड़ भगवतीगंज जनपद बलरामपुर ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी।

अपराध सं०–126/2025
धारा–317(4) BNS
थाना–कोतवाली नगर
जनपद–बलरामपुर।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **राम बहादुर मौर्या उर्फ छोटू** की ओर से अपराध सं०–126/2025 धारा–317(4) BNS थाना–कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 24/5/2025 को समय लगभग 11 बजे प्रार्थी अपने निर्माणाधीन मकान मो० गदुरहवा को देखने अपने भान्जा के साथ गया था तभी अंदर से आवाज आने पर अंदर जाने पर देखा तो एक व्यक्ति व उसका सहयोगी मकान से कटर मशीन व तार व प्लास चुराकर दिवार कूदकर भागने के फिराक में था हम लोगो ने दौड़कर घर के पीछे एक व्यक्ति को पकड़ लिया । पकड़ने के दौरान मुहल्ले के सन्ने पुत्र मो० समीम उर्फ बादशाह और अब्दुल कासिम पुत्र अब्दुल रहीम, मो० अकरम पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद अब्बास व सब्बू पुत्र फकरूद्दीन पकड़ने में सहयोग किए गये व्यक्ति का नाम अमित कुमार उर्फ रिंकू पुत्र राम कुमार सिंह निवासी ग्राम जोरावनडीह है । अमित से पूछताछ करने पर अमित ने बताया कि दूसरा व्यक्ति राम बहादुर मौर्य उर्फ छोटू मोर्या पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल निवासी मालगोदाम रोड भगवतीगंज चोरी का तार लेकर भाग गया है मौके पर जब अमित को दौड़कर पकड़ा गया तो दौड़ते समय गिर गया जिस कारण पकड़ा गया जिससे हल्की चोटे आयी है अमित उर्फ रिकू को हम लोग कटर मशीन, तार व प्लास के साथ पकड़कर थाने पर लाये है।

वादी मुकदमा मो० असलम के उक्त आशय के प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध सं0-126/2025 अंतर्गत धारा-305 (ए), 317 (2) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान **डिफेन्स कौंसिल** द्वारा जमानत का आधार दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को  प्रार्थी को उक्त मुकदमे में फर्जी फसाया गया है। प्रार्थी का उक्त मुकदमे की धारा 305(a), 317 BNS में जमानत माननीय न्यायालय सी० जे० एम० बलरामपुर द्वारा जमानत दिनांक 13.06.2025 को स्वीकृत हो चुकी है तथा बाद में धारा 317(4) की बढ़ोत्तरी की गयी है । प्रार्थी ने किसी प्रकार चोरी नहीं किया है । प्रार्थी को मुकदमें में फर्जी मुज़िम बना दिया गया है । प्रार्थी दिनांक 06.06.2025 से जिला कारागार बलरामपुर में निरूद्ध है । प्रार्थी ने कोई चोरी का अभस्त नहीं  है और न ही चोरी का माल बेचा है । प्रार्थी को पुलिस वाले फर्जी चोरी अभस्त का मुकदमा रंजिशन लिखा दिया है । सह अभियुक्त की जमानत श्रीमान जी के द्वारा दिनांक-23.04.2024 को स्वीकृत किया जा चुका है । प्रार्थी बहुत गरीब एवं असहाय व्यक्ति है। प्रार्थी निर्दोष है, और अपनी जमानत देना चाहता है। प्रार्थी के मुकदमे की पैरवी करने वाला कोई नही है। प्रार्थी बाद जमानत कभी फरार नही होगा और न्यायालय श्रीमान जी के सभी आदेशों एवं शर्तों को मानता रहेगा। प्रार्थी बाद जमानत वादी व अन्य गवाहानो पर कोई बेजा दबाव नहीं डालेगा। प्रार्थी अपने मुकदमे में प्रत्येक तारीख पेशी पर व्यक्तिगत हाजिर न्यायालय होता रहेगा। उपरोक्त कथनों के आधार पर आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवदेक/अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया और अपराध के गम्भीर व अजमानतीय होने तथा अभियुक्त का कुल 13 मामले का आपराधिक इतिहास होना के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र के निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान डिफेन्स कौंसिल तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है और प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्त के साथ मिलकर प्रार्थी/अभियुक्त पर कटर मशीन, तार व प्लास चोरी किए जाने का अभियोग है।  प्रार्थी/अभियुक्त की दिनांक-13.06.2025 को धारा 305(ए), 317 (2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत स्वीकृत हो चुकी है और विवेचना के दौरान धारा-317 (4) बी.एन.एस. की वृद्धि करते हुए आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में हो चुकी है ।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किए बिना इस स्तर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है ।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्त/प्रार्थी **राम बहादुर मौर्या उर्फ छोटू** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी/अभियुक्त को उसकी ओर से मु०-50,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक सक्षम प्रतिभू सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त वर्णित अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा ।

2. प्रार्थी/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा ।

3. प्रार्थी/अभियुक्त पलायित नहीं करेगा तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तिथि पर उपस्थित आकर विचारण कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा ।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त की जा सकेगी ।

कार्यालय जमानत आदेश की Soft Copy e-mail के जेल अधीक्षक के जरिये अभियुक्त को प्रेषित करे।

दिनांक-24.07.2026

प्रभारी विशेष न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर ।

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.07.24 15:46:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court